

Reporters Required!

For

Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,

Call/WhatsApp: +91-9157875000 +91-9041488440

Email: azadvvaani65@gmail.com



NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No. PBBIL/26/A0779



Sun - 27 Sep- 2026	Year - 01	Issue 185	Page - 01	Rs. - 5	www.azadvvaani.com
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	--------------------

एससी बहुल 3,763 गांव बनेंगे ‘आदर्श गांव’, पंजाब सरकार ने जारी किए 201 करोड़ रुपये



चंडीगढ़, 27 सितंबर: पंजाब सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) बहुल 3,763 गांवों को ‘आदर्श गांव’ के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल शुरू की है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इन गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 201 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा यह राशि राज्य के सभी उपायुक्तों को जारी की गई है। इसका उपयोग ऐसे गांवों में विकास कार्यों पर किया जाएगा, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत या इससे अधिक है। उन्होंने कहा कि चयनित 3,763 गांवों के समग्र विकास के लिए आवश्यकता के अनुसार आने वाले समय में अतिरिक्त धनराशि भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के 250वें दिन पंजाब पुलिस की 592 छापेमारी, 264 गिरफ्तार



चंडीगढ़, 27 सितंबर: पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के 250वें दिन राज्यभर में 592 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 264 लोगों को गिरफ्तार किया गया और छह हथियार बरामद किए गए। अभियान शुरू होने के बाद अब तक गिरफ्तारियों की संख्या 74,180 हो गई है।

पंजाब पुलिस के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को डीजीपी पंजाब गौरव यादव के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान के तहत एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आज की कार्रवाई के दौरान छह घोषित अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 184 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई।

श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च, बेअदबी के खिलाफ कानून में मूल भावना से समझौता नहीं: मान



चंडीगढ़, 27 सितंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सभी के लिए सर्वोच्च हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता एवं मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य सरकार सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद और भारी जुर्माना प्रस्तावित कानून का मुख्य आधार है और इसकी मूल भावना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह बात मुख्यमंत्री आवास पर ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कही। बैठक में कानून की कुछ धाराओं को लेकर उठाई गई आशंकाओं, प्रस्तावित संशोधनों तथा विभिन्न पक्षों के बीच सहमति बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

मान ने समिति को निर्देश दिया कि कानून की संबंधित धाराओं की गहन समीक्षा की जाए और श्री अकाल तख्त

साहिब द्वारा गठित पैनल के साथ लगातार बैठकें कर आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि संशोधनों पर निर्णय लेते समय कानूनी, संवैधानिक और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा के मूल उद्देश्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी की घटनाएं सिख संगत की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार का उद्देश्य ऐसा प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिससे भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह का गंभीर अपराध करने का साहस न कर सके।

उन्होंने कहा कि कानून की कुछ धाराओं को लेकर व्यक्त की गई आशंकाओं पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से धार्मिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित शख्सियतों, बुद्धिजीवियों और कानूनी

विशेषज्ञों को शामिल कर सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति कानून के प्रत्येक पहलू की समीक्षा कर राज्य सरकार को उचित मार्गदर्शन देगी।

मान ने नोडल अधिकारी पी.सी.एस. हरजीत सिंह संधू को भविष्य की बैठकों के लिए पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद और सहमति के बाद ही आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नया कानून लाने के बजाय मौजूदा कानून में संशोधन का रास्ता चुना है, ताकि कानूनी एवं संवैधानिक चिंताओं का समाधान करते हुए इसे प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा करना सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार इस प्रक्रिया को पूरी संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ आगे बढ़ाएगी।

मोगा में विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई, एसएचओ और पंजाब होमगार्ड रिश्तत लेते गिरफ्तार

चंडीगढ़, 27 सितंबर: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोगा जिले में कार्रवाई करते हुए थाना कोट ईसे खां की एसएचओ इंस्पेक्टर सुनीता बावा और पंजाब होमगार्ड (पीएचजी) जवान गुरवतर सिंह को 50,000 रुपये की रिश्तत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

राज्य विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई मोगा जिले के गांव नूरपुर हकीमा निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीएचजी गुरवतर सिंह ने उससे एक लाख रुपये की रिश्तत की मांग की थी। आरोप के अनुसार, रिश्तत नहीं देने पर उसे कोट ईसे खां थाने में पहले से दर्ज एक मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी।

प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के बाद आरोपी ने कथित तौर पर 80,000 रुपये में मामला निपटाने की बात कही। शिकायतकर्ता ने पहले ही 20,000 रुपये की रिश्तत दिए जाने की बात विजिलेंस अधिकारियों को बताई। इसके बाद आरोपी पीएचजी जवान कथित तौर पर 60,000 रुपये की अतिरिक्त राशि

की मांग कर रहा था।

विजिलेंस ब्यूरो की जांच के दौरान यह सामने आया कि रिश्तत की मांगी गई राशि में से 50,000 रुपये थाना कोट ईसे खां की एसएचओ इंस्पेक्टर सुनीता बावा के लिए थे। शिकायतकर्ता ने रिश्तत देने से इनकार करते हुए मामले की शिकायत विजिलेंस ब्यूरो के फिरोजपुर रेंज कार्यालय में की।

शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने मामले की जांच की और निर्धारित प्रक्रिया के तहत जाल बिछाया। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर सुनीता बावा को 50,000 रुपये की रिश्तत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि वह यह रकम पीएचजी गुरवतर सिंह से ले रही थी। यह कार्रवाई दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में की गई।

विजिलेंस ब्यूरो ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर में दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की आगे की जांच जारी है।

विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और शिकायतों के आधार पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में भी जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और ट्रैप कार्रवाई से संबंधित तथ्यों की जांच जारी है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।



एससी बहुल 3,763 गांव बनेंगे ‘आदर्श गांव’, पंजाब सरकार ने जारी किए 201 करोड़ रुपये



चंडीगढ़, 27 सितंबर: असामाजिक तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चंडीगढ़ पुलिस ने थाना सेक्टर-31 क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो अलग-अलग NDPS मामलों में कुल 20.60 ग्राम हेरोइन और आबकारी अधिनियम के एक मामले में 85 कार्टर Tango Santra शराब बरामद की है।

यह कार्रवाई एसएसपी/यूटी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर, आईपीएस के निर्देशों, एसपी/सिटी विजय सिंह के मार्गदर्शन और एसडीपीओ/साउथ गुरजीत कौर की निगरानी में थाना सेक्टर-31 के एसएचओ इंस्पेक्टर हरिओम शर्मा की टीम द्वारा की गई।

पुलिस के अनुसार, 26 सितंबर को शाम करीब 5:25 बजे एसआई पवन कुमार पुलिस टीम के साथ BSNL इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, रामदरबार के पास गश्त और अपराध की रोकथाम के लिए तैनात थे। इसी दौरान पार्क के नजदीक रवि उर्फ मोटा रॉकी (28), निवासी फेज-1 रामदरबार, को काबू किया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10.15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में थाना सेक्टर-31 में FIR नंबर 177, दिनांक 26 सितंबर 2026, धारा 21 NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया गया।

दूसरी कार्रवाई में 26 सितंबर को शाम करीब 4:43 बजे एसआई सागर बराड़ पुलिस टीम के साथ कुशल पार्क, फेज-1 रामदरबार के पास गश्त कर रहे थे। इस दौरान सागर (35), निवासी फेज-1 रामदरबार, को काबू किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 10.45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 178, दिनांक 26 सितंबर 2026, धारा 21 NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया गया।

तीसरे मामले में 26 सितंबर की रात करीब 7:50 बजे पुलिस टीम मीट मार्केट, सरकारी शौचालय, पुलिस पोस्ट हल्लोमाजरा के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक युवक कंटेनर लेकर जाता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे काबू कर लिया। उसकी पहचान रविंदर कुमार उर्फ टैटो (19), निवासी हल्लोमाजरा के रूप में हुई।



SquareNet
Innovation & Excellence



Zoho Mail



Google Workspace



Microsoft 365



Microsoft Solutions Partner



Google Cloud Partner



aws partner network

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**



Secure & Reliable



Professional Email



Cloud Integration



24/7 Expert Support



Scalable for Every Business

Advertisement

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions



SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India



www.squarenetindia.com



mail@squarnetsolutions.com



+91-904-101-2541 [PRI LINE]

Visit Us: www.azadvvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015